



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-के.ए.-अ.-10042026-271683
CG-KA-E-10042026-271683

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1751]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 9, 2026/चैत्र 19, 1948

No. 1751]

NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 9, 2026/CHAITRA 19, 1948

रेल मंत्रालय

(दक्षिण पश्चिम रेलवे)

अधिसूचना

हुब्वल्ली, 9 अप्रैल, 2026

का.आ. 1819(अ).— रेल अधिनियम, 1989 (24 ऑफ 1989) (जिसे इसके बाद उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20ए की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार इस बात से संतुष्ट होने के बाद कि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए, संलग्न अनुसूची में दिए गए संक्षिप्त विवरण वाली भूमि, विशेष रेल परियोजना के निष्पादन के लिए आवश्यक है, अर्थात् "कर्नाटक राज्य में स्थित बेंगलुरु डिवीजन के चिक्काबनावर और गोल्लहल्ली स्टेशनों के बीच Km: 17/439 पर LC No.11 के स्थान पर ROB के निर्माण का प्रस्ताव है। (ससिवेघट्टा गांव और थाराबनहल्ली गांव)" पर एल सी संख्या 11 के स्थान पर आरओबी के निर्माण हेतु, ऐसी भूमि का अधिग्रहण करने का अपना इरादा घोषित करता है।

उक्त भूमि में रुचि रखने वाला कोई भी व्यक्ति, आधिकारिक राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से तीस दिनों के भीतर, उक्त अधिनियम की धारा 20डी की उपधारा (1) के तहत उपर्युक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर आपत्ति उठा सकता है।

इस प्रकार की प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् प्रभारी भूमि अधिग्रहण अधिकारी बेंगलुरु शहरी और क्षेत्रीय आयुक्त, बेंगलुरु को "बेंगलुरु डिवीजन के चिक्काबनावर और गोल्लहल्ली स्टेशनों के बीच Km: 17/439 पर LC No.11 के स्थान पर ROB के निर्माण का प्रस्ताव है। (ससिवेघट्टा गांव और थाराबनहल्ली गांव) पर एलसी संख्या 11 के स्थान पर आरओबी के निर्माण" के संबंध में दर्ज कराई जाएगी। आपत्ति लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें आपत्ति के आधार

बताए जाएंगे, तथा सक्षम प्राधिकारी आपत्तिकर्ता को स्वयं या कानूनी सलाहकार के माध्यम से सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा, और सभी आपत्तियों पर सुनवाई करने और यदि आवश्यक हो तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा आवश्यक समझी जाने वाली आगे की जांच करने के बाद, आदेश द्वारा आपत्तियों को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है।

उक्त अधिनियम की धारा 20डी की उपधारा (2) के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा:

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के भू-मानचित्र और अन्य विवरण उपलब्ध हैं और इच्छुक व्यक्ति उपर्युक्त सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में इनका निरीक्षण कर सकते हैं।

अनुसूची

क्र सं	गाँव का नाम	सर्वेक्षण संख्याएँ	भाग	ए-जी-ए में क्षेत्र	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1	ससिवेघट्टा	47	47/*/2	0-0-11	0.0070
			47/*/3	0-0-13	0.0082
			47/*/4	0-0-12	0.0076
			47/*/5	0-0-4	0.0025
			47/*/1	0-0-4	0.0025
2	ससिवेघट्टा	48	48/*/*	0-0-0	0.0000
3	ससिवेघट्टा	49	49/*/2	0-2-5	0.0234
			48/*/1	0-3-0	0.0304
4	ससिवेघट्टा	56	56/*/1	0-0-2	0.0013
कुल - ए				0-8-03	0.0829
5	थाराबनहल्ली	23	23/*/3	0-0-0	0.0000
6	थाराबनहल्ली	20	20/*/4	0-0-0	0.0000
			20/*/6	0-0-2	0.0013
			20/*/5	0-0-5	0.0031
7	थाराबनहल्ली	0	0/*/*	0-1-5	0.0133
8	थाराबनहल्ली	21	21/*/2	0-0-9	0.0057
			21/*/1	0-1-4	0.0126
9	थाराबनहल्ली	5	5/*/*	0-1-3	0.0120
10	थाराबनहल्ली	35	35/*/4	0-12-2	0.1227
			35/*/3	0-6-2	0.0620
			35/*/1	0-0-11	0.0070
11	थाराबनहल्ली	36	36/*/1	0-1-14	0.0190
			36/*/2	0-1-4	0.0126
			36/*/3	0-2-11	0.0272
12			0/*/*	0-24-10	0.2492
कुल -बी				1-14-02	0.5478
कुल क्षेत्रफल A+B				1ए-22जी-0ए	0.6307

[फा. सं. एसडब्ल्यूआर/डब्ल्यू.352/ आरएसपी/लैंड/एलसी11/2026]
निगप्पा चंदप्पा चालुवाडी, उप मुख्य अभियंता

MINISTRY OF RAILWAYS
(South Western Railway)
NOTIFICATION

Hubballi, the 9th April, 2026

S.O. 1819(E).— In exercise of the powers conferred by sub- Section (1) of Section 20A of the Railway Act, 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which has been given in the Schedule annexed hereto, is required for the execution of the Special Railway Project, namely. “Construction of ROB in lieu of LC No.11 at Km: 17/439 between Chikkabanavar and Gollahalli Stations of Bangaluru division” (Sasiveghatta village and Tharabanahalli village)” in the State of Karnataka, hereby declares its intention to acquire such land:

Any person interested in the said land may, within Thirty days from the date of publication of this notification in the official Gazette, raise objection and use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of Section 20D of the said Act:

Every such objection shall be made to the competent authority, namely, Incharge Special Land Acquisition Officer Bangalore Urban and Regional Commissioner, Bengaluru for “Construction of ROB in lieu of LC No. 11 at Km: 17/439 between Chikkabanavar and Gollahalli Stations of Bangaluru division (Sasiveghatta village and Tharabanahalli village)” in writing and shall set out the grounds thereof and the competent authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the competent authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections:

Any order made by the competent authority under sub-section (2) of Section 20D of the said Act shall be final:

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid Office of the competent authority.

SCHEDULE

Sl. No.	Name of the Village	Survey Nos.	Part	Area in A-G-A	Area in Hectare
1	Sasiveghatta	47	47*/2	0-0-11	0.0070
			47*/3	0-0-13	0.0082
			47*/4	0-0-12	0.0076
			47*/5	0-0-4	0.0025
			47*/1	0-0-4	0.0025
2	Sasiveghatta	48	48*/*	0-0-0	0.0000
3	Sasiveghatta	49	49*/2	0-2-5	0.0234
			48*/1	0-3-0	0.0304
4	Sasiveghatta	56	56*/1	0-0-2	0.0013
TOTAL - A				0-8-03	0.0829
5	Tharabanahalli	23	23*/3	0-0-0	0.0000
6	Tharabanahalli	20	20*/4	0-0-0	0.0000
			20*/6	0-0-2	0.0013
			20*/5	0-0-5	0.0031
7	Tharabanahalli	0	0*/*	0-1-5	0.0133
8	Tharabanahalli	21	21*/2	0-0-9	0.0057
			21*/1	0-1-4	0.0126

9	Tharabanahalli	5	5/*/*	0-1-3	0.0120
10	Tharabanahalli	35	35/*/4	0-12-2	0.1227
			35/*/3	0-6-2	0.0620
			35/*/1	0-0-11	0.0070
11	Tharabanahalli	36	36/*/1	0-1-14	0.0190
			36/*/2	0-1-4	0.0126
			36/*/3	0-2-11	0.0272
12			0/*/*	0-24-10	0.2492
Total -B				1-14-02	0.5478
TOTAL EXTENT A+B				1A-22G-0A	0.6307

[F. No. SWR/W.352/RSP/Land/LC11/2026]

NINGAPPA CHANDAPPA CHALUWADI, Dy. Chief Engineer